न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) नगर (भरतपुर)
पीठासीन अधिकारी हरिराम आदित्य आर.ए.एस.

वाद सं. 88/10

विजन दत्तक पुत्र अजीराम जाति गुर्जर निवासी मोराका तहसील नगर जिला भरतपुर (राज.)

--- वादी

बनाम

1. जिला कलक्टर भरतपुर
2. तहसीलदार तहसील नगर

--- असल प्रति०

3. साँवल पुत्र निहाल (मृतक)
3/1 रतीराम] पिसं. साँवल
3/2 रामवीर]
4. बीरबल पुत्र निहाल (मृतक)
4/1 देवी सिंह]
4/2 प्रीतम] पिसं. बीरबल
4/3 टीकम]
4/4 राजेन्द्र]
5. उमेद पुत्र निहाल
6. रामफल पुत्र निहाल

] जाति गुर्जर निवासी- मोराका तह० नगर जिला भरतपुर

---- तरतीबी प्रति०

दावा अन्तर्गत धारा 88.89 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:

1. श्री ओमहरि अधिवक्ता वादी
2. " नायब तहसीलदार ... [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:24:00 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय ... 30-1-2014

वादी ने यह दावा इस आशय का संस्थित किया है कि विवादित आराजी ख.नं. $\frac{431}{0.18}$ वाके ग्राम खरखावली तहसील नगर साबिक ख.नं. 668 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा से-

उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर) राज.

— 2

Scanned by CamScanner

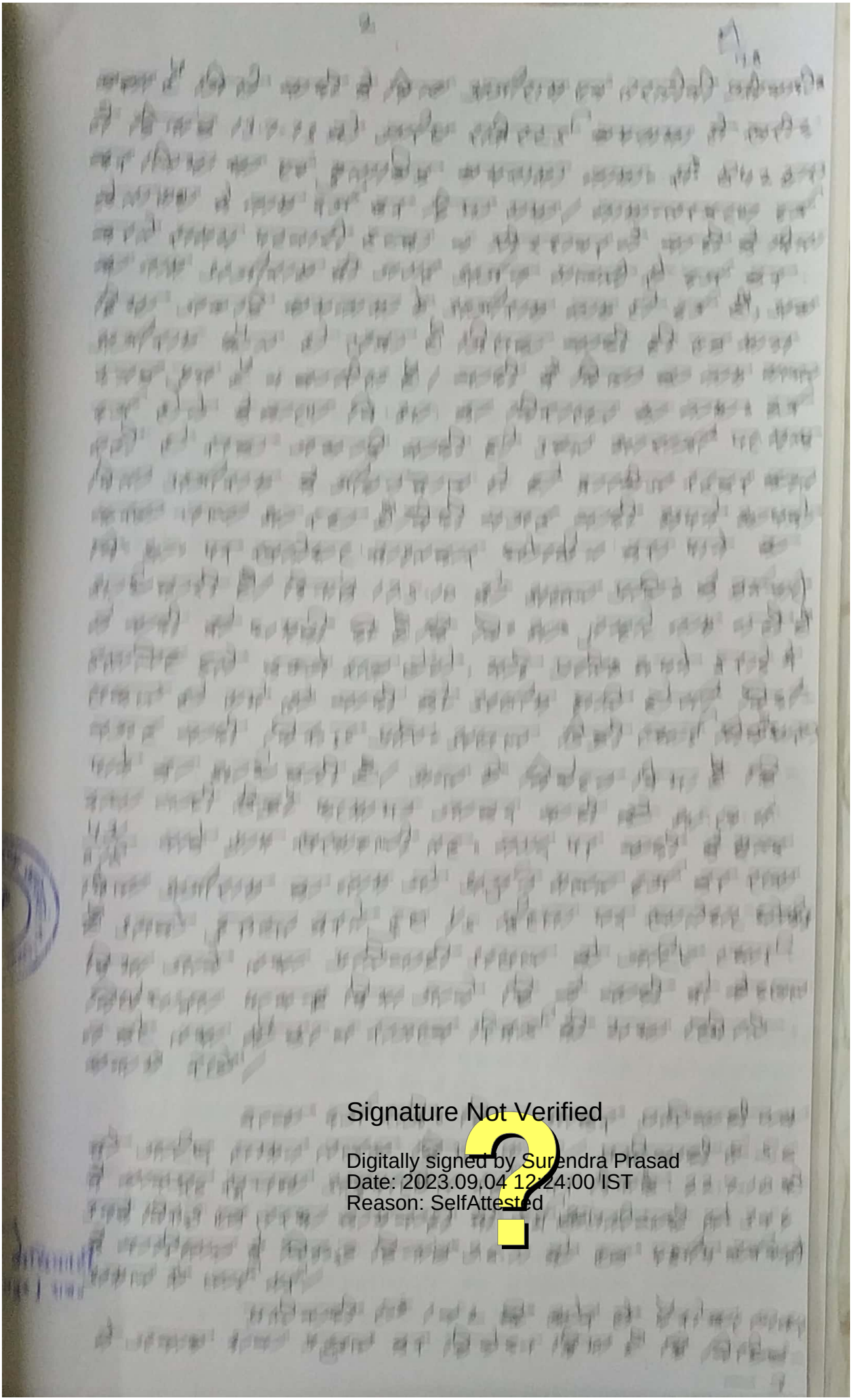

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:24:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

A/23

प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के विरुद्ध दावा दायर करने से पूर्व दफा 80 जा॰ दी॰ के तहत दो माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। दोषपूर्ण वाद में सह खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। वादी ने स्वयं को फौत अजीराम का दत्तक पुत्र होना व्यक्त किया है, परन्तु वादी ने वादपत्र के साथ कोई रजिस्टर्ड गोदनामा संलग्न नहीं किया है. इस प्रकार वादी का वाद — के बुनियाद व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के कारण काबिल खारिज है। अतः मे निवेदन किया है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई —

1. आया वादी कि॰ ख॰ क्र॰ नं॰ $\frac{43}{0.18}$ वाके खरखावली के 1/5 हि॰ पर अपने मृतक पिता अजीराम का सही नाम अर्जुन के स्थान पर अजीराम दर्ज कराकर अपने आपको खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है?
— — जिम्मे वादी

2. आया वादी प्रतिवादी॰ अतल को जरिए डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करा पाने का अधिकारी है?
— जिम्मे वादी

3. आया वादी ने दावा दायरी से पूर्व धारा 80 cpc का नोटिस नहीं दिया है जिससे दावा काबिल खारिज है?
— जिम्मे प्रति॰

4. आया वादी ने मृतक अजीराम दत्तक पुत्र होने बाबत कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे दावा काबिल खारिज है?
— — — — जिम्मे फैलकर

5. दादरसी?

वादी ने अपने दावा के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी सं॰ 2063-66 EXP.1, फोटो प्रति बयनामा दि॰ 13.3.73, नकल नामा॰ सं॰ 842 EXP2, नकल खसरा पत्रक सं॰ 2028 EXP3, P4, [illegible] 2028-31 EXP5 एवं नकल जमाबन्दी सम्वत् 2065-68 [illegible] दस्तावेजात प्रस्तुत किये तथा मौखिक साक्ष्य मे [illegible] PW2 ने शपथ-पत्र प्रस्तुत किये [illegible]

वादी के विद्वान अभि[illegible]षक एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का आद्योपांत ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिसके आधार पर तनकीवार निर्णय —

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:24:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

निम्न प्रकार किया जाता है।

तनकी नं. 3 तनकी नं. 3 कानूनी तनकी है इसलिए सर्वप्रथम इस तनकी का निर्णय किया जा रहा है। पत्रावली के अवलोकन से यह साबित होता है कि वादी ने दिनांक 25.5.10 को दावा प्रस्तुत करते समय धारा 80(2) CPC के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बाद सुनवाई न्यायालय ने दिनांक 25.5.10 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा पेश करने की अनुमति दी है। इसलिए यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी नं. 1 व 2

तनकी नं. 1 व 2 दोनों एक दूसरे से सम्बंधित हैं, इसलिए दोनों तनकीहात का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। इन तनकियों को साबित करने का भार वादी पर रहा है। नकल जमाबन्दी सं. 2063-66 EXP-1 के खाता सं. 6 पर वि. अत. ख.नं. $\frac{431}{0.18}$ की बाबत – " अर्जुन, सांवल, बीरबल, उमेद, रामफल पि. नेताल व हि. न. कौम गूजर सा. मोरावा खातेदार ई.नं. 85 डिग्री " दर्ज होना पाया जाता है। नकल खसरा पत्र भू प्रबंध विभाग EXP-4 के अनुसार साबिक ख.नं. 668 मि. से हाल आ. ख.नं. $\frac{431}{0.18}$ बनाया जाना साबित होता है। बयनामा दि. 13.3.73 से साबिक आ. ख.नं. 668 रकबा 5 बी. 2 बि. वाके ग्राम खलावली के अनुसार विक्रेता रूपी, अमर सिंह, कुन्नीलाल, अर्जुन पिसरान घीसा कौम फकीर सा. खलावली से अजीराम, सावल, बीरबल, उमेद, रामफल पि. नेताल ने हिस्सा बराबर कौम गूजर साकिन ग्राम मोरवा द्वारा क्रय किया जाना साबित है। नकल नामान्तरकरण सं. 842 EXP-2 के अवलोकन से यह साबित होता है कि उक्त बयनामा दि. 13.3.73 के आधार पर पटवारी द्वारा अर्जुन, सावल, बीरबल, उमेद, रामफल पि. नेताल के नाम दर्ज किया है, लेकिन राजस्व अधिकारी ने अपने निर्णय दि. 2-5-73 में अंकित किया है कि – " ख.नं. $\frac{668}{5/2}$ पर जमें रजिस्ट्री बैनामा रूपी आदि के स्थान पर – अजीराम, सांवल, बीरबल, उमेद, रामफल के नाम हिस्सा बराबर दर्ज किया जाना स्वीकार है। अमल [illegible] बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा अजीराम के स्थान [illegible] दर्ज किया जा रहा है जो गलत है तथा [illegible] मृतक अजीराम के स्थान पर वादी विजय [illegible] किया जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह तथ्य पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है कि मृतक अजीराम के अन्य कोई वारिसान नहीं है। यह बिन्दु विरासत के नामान्तरकरण हेतु जांच किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार वादी इन तनकियात को –

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:24:00 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
] राज०

Scanned by CamScanner

A/31

अपने पक्ष में आंशिक रूप से साबित करने में सफल रहा है। अतः ये दोनों तनकी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

तनकी नं. 5 इस तनकी को साबित करने का भार दोनों पक्षों पर ही रहता है। वादी द्वारा भी अपने आपको मृतक अजीराम का दत्तक पुत्र होने बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार नगर ने भी अपने पूर्ण दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हुए मृतक अजीराम के वारिसान की जांच नहीं की है, इसलिए बिन्दु को प्रतिवादी तहसीलदार की जांच पर छोड़ा जाता है तथा उन्हें नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

इस प्रकार उक्त समस्त विवेचन के आधार पर: तनकी नं. 1 व 2 वादी के पक्ष में आंशिक रूप से तथा तनकी नं. 3 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित की गई है, जिससे दावा वादी आंशिक रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः आदेश है कि—

दावा वादी आंशिक डिक्री किया जाता है। आ० ख० नं० $\frac{431}{0.18}$ वाके ग्राम खरखावली तहसील नगर पर दर्ज "अर्जन" के स्थान पर "अजीराम" घोषित किया जाता है, तथा तहसीलदार नगर को निर्देशित किया जाता है कि वह मृतक अजीराम के वारिसान की पूर्ण जांच कर विरासत दर्ज करने की कार्यवाही करें। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30-1-2014 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(signature) 30/1/14
(... आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:24:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे इब्तदाईत्र

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

आर.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी :

निर्णय दिनांक : 30.1.2014

राजस्व वाद संख्या : 88/10

उनवान

विजनदत्त पुत्र अजीराम जाति गूजर निवासी ओखाका तहसील नगर जिला भरतपुर (राजस्थान) --- वादी

बनाम

1. जिला कलक्टर, भरतपुर
2. तहसीलदार तहसील नगर --- अप्रार्थी/प्रतिवादी
3. सांवल पुत्र निहाल (मृतक) बनाम
3/1. रतीराम } पिसर सांवल
3/2 रामवीर }
4. बीरबल पुत्र निहाल (मृतक)
4/1 [illegible] } पिसर बीरबल
4/2 [illegible]
4/3 [illegible]
4/4 राजेन्द्र
5. [illegible] पुत्र निहाल 6. रामजल पुत्र निहाल

} जाति गूजर निवासी ओखाका तह० नगर जिला भरतपुर — तरतीबी प्रतिवादीगण)

दावा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अ. 1955 (आर.टी.एक्ट)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू हमारे बहाजरी श्री [illegible] मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म .... अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई श्री [illegible] दिया जाता है कि दावा वादी [illegible] डिक्री किया जाता है। [illegible] 4.31 / 0.18 बाबत भूमि [illegible] तहसील नगर पर दर्ज "[illegible]" के स्थान पर "अजीराम" घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार नगर को निर्देशित किया जाता है कि वह मृतक अजीराम के वारिसान की पूर्ण जांच कर विरासत दर्ज करने की कार्यवाही करें। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:24:00 IST
Reason: SelfAttested

बराबर मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.1.2014 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज०

Scanned by CamScanner